

प्रश्न

श्री सत्यनारायण गोखले,
उप-निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

विषय :-

मिहरी,
तेन्दुल बोंड प्रांत मिहरी, सुपौल,
उत्तर प्रदेश, जन्मदिनांक 1910, दरियाबाग,
सई दिल्ली- 110002

सिद्धांत 1121 अनुभाग

मसुदा, दिनांक 30 मार्च, 1984

विषय:- अनुमति प्रमाण पत्र ।

महोदय,

मुझे यह बताने का अनुरोध हुआ है कि मेरा पतिका तबू, डेट एंड रीड, मेरठ
डिप्ट हो तेन्दुल बोंड प्रांत मिहरी सुपौल, सई दिल्ली के सम्बन्ध होने में यह राज्य सरकार
की विनियमित शर्तों के अधीन प्रमाणित न होगी :-

राज्य प्रमाणित

- 1- सेवा की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 2- सेवा के अभाव/अव्यवहार प्रमाणित होगी। सेवा के विच्छेद तथा विच्छेदित
कर्मचारियों की राजकीय सेवा संबंधों के कर्मचारियों की अनुपस्थिति/अनुपस्थिति तथा अन्य कारणों
के सब कारणों तथा अन्य नहीं दिये जायें।
- 3- राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के विद्या विभाग द्वारा की भी प्रत्येक पिन को
प्राप्ति, उनका पालन करना सेवा के लिए अनिवार्य होगा।
- 4- विद्या में अनुपस्थिति तथा विद्या का स्तर उच्च होना का रखा जाएगा।
- 5- यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग भी तथा उल्लंघन किया जाएगा तो
प्रमाण अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

विद्यार्थ प्रमाणित

- 1- विद्यार्थ की प्रमाणित शर्तों का पालन/अव्यवहार तैयार/सही 21, 1960-1961
अधीन कराया जाये तथा विद्या/अव्यवहार शर्तों/अव्यवहार भी साथ पर कराया जाये।
- 2- विद्यार्थ में प्रत्येक तथा अनुपस्थिति के लिए उचित कारण का सब तथा सब तथा हो
वैयक्तिक विद्या सब एवं अनुपस्थिति सब की अवस्था हो जाये।
- 3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायें तथा उन्हें अन्य उपाय/अव्यवहार प्रमाणित
विद्या के कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा विद्युत मात्र उपलब्ध कराये जायें।
- 4- विद्यार्थ का सेवा सेवा विद्यार्थि/विद्यार्थि/विद्यार्थि में रखा जाये।

महोदय,

संख्या 6165/15-12-84-101141/83

सत्यनारायण गोखले
उप-निदेशक ।

प्रमाणित विनियमित की अनुमति/सर्व कारण

कार्यवाही हेतु प्रमाणित:-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- विद्या विद्या, 30/03, अनामिकाट । | 4- विद्या, उचित भारतीय विद्यार्थ, 30/03
उत्तर । |
| 2- उप विद्या विद्या, 30/03, मेरठ । | 5- प्रमाणित मेरठ पतिका तबू, डेट एंड रीड,
मेरठ डिप्ट । |
| 3- विद्या विद्यार्थ विद्या, मेरठ । | |

आगत है

सत्यनारायण गोखले
उप-निदेशक ।